संख्या- 411/2021/2456/41-2021-08(बजट)/2019

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 31 अगस्त 2021**

विषयः- मा0 मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत जनपद बहराईच में गुल्लावीर में महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा के निकट मंच के सामने एक सभागार व एक स्मारक के निर्माण की परियोजना का कार्य निर्धारित समय अवधि में कराये जाने हेतु अन्य कार्यदायी संस्था नामित करने पर विचार करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में जिलाधिकारी ,बहराईच के पत्र सं0-414/मा0मं0मं0घो0/ नि0कार्य0/2021 दिनांक 27 अगस्तरी 2021 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें।

2. वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य योजना के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत जनपद बहराईच में गुल्लावीर में महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा के निकट मंच के सामने एक सभागार व एक स्मारक के निर्माण की परियोजना हेतु चयनित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा तैयार किये गये आगणन रू0-4361.79 लाख का व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक- 08 जनवरी 2021 में परीक्षण /मूल्यांकन कराये जाने के क्रम में प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित /अनुमोदित लागत के अनुसार रू0 3949.06 लाख (रूपये उन्तालिस करोड उनचास लाख छह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं रू0 593.00 (रूपये पांच करोड तिरानवे लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-104/2021/445/41-2021-08(बजट)/2019 दिनांक 08 फरवरी 2021 द्वारा निर्गत की गई है। तदनन्तर शासनादेश संख्या-127/2021/685/41-2021-08(बजट)/2019 दिनांक 17 फरवरी 2021 द्वारा परियोजना का नाम परिवर्तित कर ***मा0 मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत*** "***जनपद बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्मारक का निर्माण एवं चित्तौरा झील का विकास***" किया गया है।

3. उक्त पृष्ठभूमि में जिलाधिकारी बहराईच द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी सदर बहराइच के साथ दिनांक 27-08-2021 को मा0 मुख्यमंत्री जी के घोषणा के अन्तर्गत ञजनपद बहराइच में गुल्लावीर में महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा के निकट मंच के सामने एक सभागार व एक स्मारक के निर्माण की परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 का कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। मौके पर भूमि इन्टरप्राइजेज के प्रतिनिधि श्री आनन्द प्रताप सिंह उपस्थित मिले पूछ-ताछ पर उनके द्वारा बताया गया कि भूमि इन्टरप्राइजेज को स्मारक स्थल की बाउन्ड्रीवाल ,शौचालय एवं धर्मशाला का निर्माण कार्य कराया जाना है तथा शेष अन्य कार्य हेतु कायदिश श्री दुर्गा इन्टरप्राजेज को मिलना बताया गया। मौके पर बाउन्ड्रीवाल का कार्य कराया जा रहा था जिसकी भी प्रगति काफी धीमी पायी गयी । निरीक्षण के समय मौके पर नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था और न ही दुर्गा इन्टरप्राइजेज का प्रतिनिधि उपस्थित था जिससे परिलक्षित होता है कि उक्त निर्माण कार्य को समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण कराने हेतु कार्यदायी संस्था की कोई कार्ययोजना नहीं है और न ही इस दिशा में गम्भीरता से कार्य किया जा रहा है जो कार्यदायी संस्था की घोर लापरवाही एवं शिथिलता का प्रतीक है । इस सम्बन्ध में पूर्व में भी पत्र संख्या -215 ध/ मा0मु0मं0घो0 /नि0कार्य0/2021 दिनांक 03-07-2021 के माध्यम से अविलम्ब कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था को निर्देशित करने अथवा अन्य कार्यदायी संस्था नामित करने पर विचार करने का अनुरोध किया गया है ।

4- जिलाधिकारी बहराईच द्वारा यह उल्लेख किया गया कि संदर्भित निर्माण कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड ,लखनऊ द्वारा लक्षित समय सीमा मार्च 2022 तक निर्माण कार्य को पूर्ण कराया जाना सम्भव प्रतीत नहीं हो रहा है और तत्क्रम में परियोजना हेतु नामित कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड लखनऊ के स्थान पर किसी अन्य को कार्यदायी संस्था को नामित करने की संस्तुति की गई है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- अत: जिलाधिकारी,बहराईच की आख्या/संस्तुति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि :-

(1)जिलाधिकारी ,बहराईच की आख्यानुसार संबंधित ठेकेदार जिसे आंशिक कार्य आवंटित कर कार्यादेश जारी किया जा चुका है ,उससे एग्रीमेंट/वर्क आर्डर की प्रतिलिपि लेकर कार्यदायी संस्था-उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0को समयबद्ध रूप से दि0-30 नवम्बर 2021 तक गुणवत्तापरक कार्य किये जाने के निर्देश जारी कर दिये जायें।

(2) प्रायोजना के अवशेष कार्य ,जिनका कार्यादेश जारी नहीं हुआ है एवं मौके पर कार्य अब तक प्रारम्भ नहीं हुआ है ,उसके संदर्भ में महाप्रबंधक ,सी0एण्ड डी0एस0 ,उ0प्र0 जल निगम के पत्रांक-303/जी0एम0(एन-10)पर्यटन /14 दिनांक 27-8-21 द्वारा व्यक्त की गई सहमति के क्रम में एतद्द्वारा सी0एण्ड डी0एस0 ,उ0प्र0 जल निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है । उक्त क्रम में कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम से समयबद्धता की वचनबद्धता प्राप्त कर जी जायेगी।

5- कृपया उपर्युक्त के क्रम में अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये शासन को कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक -यथोक्त।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मण्डलायुक्त देवीपाटन मण्डल/जिलाधिकारी , बहराईच।
4- मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
5- संबंधित उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक / महाप्रबंधक(अयोध्या अंचल), उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
8- अपर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0,मेडिकल कालेज इकाई ,बहराईच।
9- प्रबंध निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0,उ0प्र0 जल निगम लखनऊ।
10- महाप्रबंधक, सी0 एण्ड डी0एस0,उ0प्र0 जल निगम लखनऊ।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 उ0प्र0 शासन।
12- उप निदेशक पर्यटन अयोध्या।
13- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
14- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in